बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1927 (श०)

(सं० पटना 348) पटना, बुधवार 13 जुलाई 2005

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

12 जुलाई 2005

सं० 1112—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

भाग-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएं।-जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ-

(क) 'सरकार' से अभिप्रेत सै बिहार सरकार;

(ख) 'सरकार के आदेश' से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के अन्तर्गत निर्मित कार्यपालिका नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पारित कार्यपालक आदेश;

(ग) 'परिवीक्षाधीन (व्यक्ति)' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो परिवीक्षा पर किसी सेवा में नियुक्त है;

(घ) 'सिविल सेवा संवर्ग' से अभिप्रेत है राज्य की सिविल सेवाओं के सभी वर्ग तथा इसमें बिहार राज्य सरकार के अधीन सभी अन्य समान संवर्गीय अथवा गैर संवर्गीय पद भी सम्मिलित हैं;

'पद' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार की सेवा के अधीन कोई भी पद;

(ङ) किसी सरकारी सेवक के संबंध में 'नियुक्त प्राधिकार' से अभिप्रेत है-

(*i*) वह प्राधिकार जो उस सेवा में नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो जिसका वह सरकारी सेवक तत्समय एक सदस्य है, अथवा

(ii) वह प्राधिकार जो उस पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो जिसे वह सरकारी सेवक तत्समय धारण करता है, अथवा

(iii) वह प्राधिकार जो, यथास्थिति, ऐसी सेवा, कोटि या पद पर सरकारी सेवक की नियुक्ति किया हो, अथवा

(iv) जहाँ सरकारी सेवक किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुए अथवा कोई अन्य स्थायी पद मौलिक रूप से धारण करते हुए सरकार के सतत नियोजन में रहा हो, वहां वह प्राधिकार जो, उसे उस सेवा में या उस सेवा के किसी कोटि में या उस पद पर नियुक्त किया हो ।

(च) किसी सेवा के संबंध में 'संवर्ग प्राधिकार' से वही अभिप्रेत होगा जो उस सेवा को विनियमित करनेवाली नियमावली में हो;

(छ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ज) ''बिहार सरकार के विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट कोई विभाग;

(झ) किसी संवर्ग-विशेष की नियमावली में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय ''अनुशासनिक प्राधिकार'' से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार, जो नियम-14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को सरकारी सेवक पर अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम होंगे;

(ञ) ''सरकारी सेवक'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो-

(i) राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य है अथवा सिविल पद धारण करता है और उसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो वाह्य सेवा में हो अथवा जिसकी सेवा सरकार अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार को अस्थायी रूप से सौंपी गयी हो;

(ii) सरकार के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो अथवा सिविल पद धारण करता हो और जिसकी सेवा संघ सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार को अस्थायी रूप से सौंपी गयी हो;

(ट) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीलीय या पुनरीक्षणकर्त्ता प्राधिकार के रूप में शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ''विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार, जिसे बिहार सेवा संहिता के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया हो;

(ठ) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीलीय या पुनरीक्षणकर्त्ता प्राधिकार के रूप में शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ''कार्यालय

प्रधान'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार जिसे कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किया गया हो;

(ड) ''सचिव'' से अभिप्रेत है किसी विभाग में सरकार का सचिव;

(ढ़) ''सेवा'' से अभिप्रेत है राज्य की सिविल सेवा;

(ण) ''वैध नोटिस'' से अभिप्रेत है सिविल प्रोसिड्‌योर कोर्ट एवं जेनरल क्लाउजेज एक्ट के अधीन प्रावधानित नोटिस ।

3. नियमावली का लागू होना ।-(1)यह नियमावली, निम्नलिखित को छोड़कर, सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी;

(क) अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य;

(ख) आकस्मिक नियोजन में किसी व्यक्ति;

(ग) एक माह की अवधि से भी कम समय की सूचना पर सेवोन्मुक्ति के अधीन किसी व्यक्ति;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके लिये इस नियमावली से आच्छादित मामलों के संबंध में विशेष उपबंध तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या के अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या बाद सरकार के पूर्वानुमोदन से, विशेष उपबंधों से आच्छादित मामलों के संबंध में किये गये किसी समझौते के अन्तर्गत किया जाता है ।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के आदेश द्वारा, किसी वर्ग के सरकारी सेवक को इस नियमावली के किसी नियम या नियमों के उसके विरूद्ध प्रवर्त्तन से अपवर्जित किया जा सकेगा ।

(3) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह नियमावली उप-नियम (1) के (घ) में आनेवाली सिविल सेवा या पद में अस्थायी रूप में स्थानान्तरित प्रत्येक सरकारी सेवक पर लागू होगी ।

(4) यदि इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कोई शंका उठती है तो मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिये निर्देशित किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

भाग II
वर्गीकरण

4. सिविल सेवाओं का वर्गीकरण ।-(1)राज्य की सिविल सेवाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा:-

(i) समूह - क

(ii) समूह - ख

(iii) समूह - ग

(iv) समूह - घ

5\. सिविल सेवाओं का गठन ।- सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सिविल सेवाओं को समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ में गठित किया जायेगा ।

6\. पदों का वर्गीकरण ।-राज्य के अधीन सभी सिविल पदों को सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा:-

i) समूह - क
ii) समूह - ख
iii) समूह - ग
iv) समूह - घ

स्पष्टीकरण- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियमावलियों, आदेशों, परिशिष्टों, अधिसूचनाओं, विनियमावलियों,अनुदेशों एवं सभी निदेशों में प्रयुक्त सिविल सेवाओं/पदों के समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ के लिये निर्देशों से अभिप्रेत सिविल सेवा/सिविल पद के क्रमशः समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ के लिये निर्देश से होगा ।

भाग III
नियुक्ति प्राधिकार

7\. सिविल सेवाओं में समूह-क एवं समूह-ख के पदों पर नियुक्ति ।-सिविल सेवा के समूह- क एवं समूह- ख के पदों पर सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेंगी;

परन्तु सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और उन शर्तों के अध्यधीन जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी नियुक्तियाँ करने की शक्ति किसी अन्य प्राधिकार को प्रदत्त कर सकेगी ।

8\. दूसरी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ ।- समूह- ग और समूह- घ के पदों पर सभी नियुक्तियाँ, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट प्राधिकारों द्वारा की जायेगी ।

भाग- IV
निलम्बन

9\. निलम्बन का आदेश ।-(1) नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा कोई भी प्राधिकार जिसका नियुक्ति प्राधिकार अधीनस्थ हो या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार

के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगा जब-

(क) सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जानी हो या लंबित हो, अथवा

(ख) उपर्युक्त प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा-हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले कियाकलाप में संलिप्त हो, अथवा

(ग) सरकारी सेवक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन हो और सक्षम प्राधिकार का यह समाधान हो गया हो कि लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है ।

(2) कोई सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकार के किसी आदेश द्वारा निम्नलिखित तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया समझा जायेगा जब-

(क) उसके कारा-निरोध की तिथि से, यदि वह या तो आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालिस घंटों से अधिक अवधि के लिये, अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो;

(ख) उसकी दोषसिद्धि की तिथि से, यदि किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में उसे अड़तालिस घंटों से अधिक की कारावास की अवधि से दंडादिष्ट किया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल सेवाच्युत या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया हो ।

व्याख्या-इस उप-नियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालिस घंटें की अवधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी और इस प्रयोजनार्थ कारावास की अन्तर्विरामी कालावधियाँ, यदि कोई हो, परिगणित की जायेंगी ।

(3) (i) उप नियम (2) के अधीन कारावास अवधि के बाद सरकारी सेवक द्वारा योगदान किये जाने पर निलंबित समझे जाने की अवधि समाप्त समझी जायेगी और योगदान स्वीकार किया जायेगा ।

(ii) यदि उप नियम (1) (क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का कोई निर्णय लिया जाता है तो ऐसी कार्रवाई उपर्युक्त खंड (i) के अनुसार योगदान स्वीकार करने के बाद ही एवं अलग से आदेश निर्गत कर की जा सकेगी ।

(4) जहाँ निलम्बनाधीन सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति इस नियमावली के अधीन अपील या पुनरीक्षण में निरस्त कर दी जाती है और मामले को अगली जाँच या कार्रवाई या कोई अन्य निदेश के साथ विप्रेषित कर दी जाती है, वहां उसके निलम्बन का आदेश सेवाच्युति, बर्खास्तगी

या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि को एवं लगातार प्रवृत्त समझा जायेगा तथा अगले आदेश तक प्रवृत्त रहेगा ।

(5) जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निरस्त कर दी जाती है या के परिणामस्वरूप शून्य घोषित होती हैं या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरूद्ध ऐसे आरोपों, जिन पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्त की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जांच करने का विनिश्चय करता है वहां सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलंबित किया हुआ समझा जायेगा और अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रहेगा ।

(6) (क) इस नियम के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश तबतक प्रवृत्त रहेगा जबतक सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे संशोधित न किया जाय या वापस न लिया जाय ।

(ख) जहाँ कोई सरकारी सेवक निलंबित किया गया हो अथवा निलंबित किया गया समझा गया हो (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) तथा उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो तब उसे निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलेखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक का ऐसी कार्यवाहियों में से सभी या किसी की समाप्ति तक निलंबित रहेगा ।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश किसी भी समय, उसी प्राधिकार द्वारा संशोधित किया जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा जिसने या जिसके अधीनस्थ प्राधिकार ने ऐसा आदेश पारित किया हो ।

(7) निलंबनादेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप पत्र गठित कर दिया जायेगा जिसके नहीं होने पर तीन माह की समाप्ति पर निलंबनादेश वापस लिया जायेगा जबतक कि निलंबनादेश निर्गत करनेवाला प्राधिकार आरोप-पत्र के गठित किये जाने में विलम्ब के कारणों को अभिलेखित करते हुए अगले चार माह तक के लिये निलंबन को नवीकृत करने संबंधी आदेश पारित न करे:

परन्तु यह कि विस्तारित चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि आरोप पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलंबनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा ।

10. निलम्बन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता ।-(1) निलम्बनाधीन या निलम्बनाधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन-निर्वाह-भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगाः

परन्तु यह कि जहाँ निलम्बन की अवधि बारह माह से अधिक हो गयी हो वहां वह प्राधिकार, जिसने ऐसा निलम्बनादेश पारित किया हो, प्रथम बारह माह के पश्चातवर्त्ती किसी अवधि के लिये जीवन-निर्वाह-भत्ता की रकम में निम्नलिखित रूप में परिवर्त्तन करने में सक्षम होगा:-

(i) यदि उक्त प्राधिकार की राय में निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिये, अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी नहीं हो तो जीवन-निर्वाह भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम द्वारा बढ़ायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ii) यदि उक्त प्राधिकार की राय में निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिये, अभिलेखित किये जानेवाले ऐसे कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी हो तो जीवन-निर्वाह भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम तक घटायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(iii) मंहगाई भत्ता की दर इस नियम के उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) के अधीन, यथास्थिति, बढ़ी हुई अथवा घटी हुई अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता की दरों पर आधारित होगीः

परन्तु यह कि सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिये जीवन-निर्वाह-भत्ता पाने का हकदार होगा जब निलम्बन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो । उससे ऐसे सरकारी सेवकों के लिये बनायी गयी उपस्थिति-पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की जायेगी;

परन्तु यह और कि चूँकि कारावास अवधि के लिए मुख्यालय का निर्धारण नहीं हो सकता है, अतः कारावास अवधि के लिए ऐसी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(2) कोई सरकारी सेवक उप-नियम (1) के अधीन तबतक भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा जबतक कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारोबार, पेशा अथवा व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है ।

(3) जहाँ निलंबन नियम-9 के उप-नियम (2) के अधीन हो वहाँ भी जीवन-निर्वाह भत्ता उपर्युक्त उप-नियम (1) के अनुसार अनुमान्य होगा । सरकारी सेवक के कारावास में रहने के कारण निलंबित

समझे जाने के फलस्वरूप जीवन-निर्वाह भत्ता का भुगतान उसके प्राधिकार-पत्र के आधार पर उसके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा । ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा जहाँ ऐसा सरकारी सेवक कारावास में जाते समय पदस्थापित रहा हो ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार जीवन-निर्वाह-भत्ता मंजूर करने तथा उसे बढ़ाने या घटाने के लिये सक्षम प्राधिकार होगा ।

11. निलम्बन के पश्चात् पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की अनुमान्यता ।-(1) जब निलम्बनाधीन कोई सरकारी सेवक पुनःस्थापित किया जाता है या इस प्रकार पुनःस्थापित होता यदि निलंबन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं होती, तो अनुशासनिक प्राधिकार निम्न बातों के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगा:-

(क) यथास्थिति, पुनःस्थापन होने या वार्धक्य सेवानिवृत्ति तक निलंबन अवधि के लिये सरकारी सेवक को भुगतेय वेतन तथा भत्ता; और

(ख) उक्त अवधि कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं ।

(2) इस नियमावली के नियम-10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरूद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालीय कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिये पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता । ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा ।

(3) जहां अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित था तो सरकारी सेवक को, इस नियम के उपनियम (8) के उपबंधों के अधीन, वैसे पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह निलंबित नहीं किये जाने पर हकदार होता । ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा:

परन्तु यह कि जहां ऐसे प्राधिकार की राय हो कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में उन कारणों के चलते विलंब हुआ है जिसके लिये सरकारी सेवक सीधे उत्तरदायी है तो वह सरकारी सेवक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा । तत्पश्चात्, वह लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विलम्ब की

अवधि के लिये ऐसे वेतन तथा भत्ते की मात्र उतनी राशि का भुगतान सरकारी सेवक को किया जायेगा जितनी उसके द्वारा निश्चित की जाय ।

(4) इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन आनेवाले मामलों में निलंबन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

(5) इस नियम के उप-नियम (2) और (3) के अधीन आनेवाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को इस नियम के उप-नियम (8) तथा (9) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूरे वेतन तथा भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिश्चित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह तब हकदार होता जब उसे निलंबित नहीं किया गया होता । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसा विनिश्चयन सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात् और सरकारी सेवक द्वारा, उक्त नोटिस के तामिल होने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद दिया जायेगा ।

(6) जहां अनुशासनिक कार्यवाही या किसी न्यायालय में कार्यवाही के अंतिम निर्णय के लंबित रहते हुए निलंबन वापस लिया जाता है वहां सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यवाही पूरी होने के पहले इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश की, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् समीक्षा की जायेगी और उसके द्वारा यथास्थिति, उप-नियम (3) या उप-नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक आदेश पारित किया जायेगा ।

(7) इस नियम के उप-नियम (5) के अधीन आनेवाले मामले में निलंबन अवधि तबतक कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि यह अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये बितायी गयी अवधि होगी ।

(8) इस नियम के उप-नियम (2), उप-नियम (3) या उप-नियम (5) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्त्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुमान्य हों ।

(9) इस नियम के उप-नियम (3) के परन्तुक या उप-नियम (5) के उपबंधों के अधीन निश्चित किये गये पूर्ण वेतन एवं भत्ते का अनुपात न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही जीवन-निर्वाह-भत्ता से कम ।

12. अपील के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनःस्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन एवं भत्ते की अनुमान्यता ।-(1) जब किसी सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो, को अपील के परिणामस्वरूप

पुनःस्थापित किया जाता है अथवा इस प्रकार पुनःस्थापित होता यदि निलंबन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं हुई होती तो अनुशासनिक प्राधिकार -

(क) यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से पूर्व निलंबन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिये उसे भुगतान किये जानेवाले वेतन एवं भत्ते, और

(ख) उक्त अवधि को कर्त्तव्य पर वितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं,

- के संबंध में विचार करेगा और विशिष्ट आदेश पारित करेगा ।

(2) इस नियम के उप-नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक को निम्नलिखित मामलों में पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा जो उसे अनुमान्य होता यदि वह यथास्थिति ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाता-

(i) जहां अनुशासनिक प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था, को पूर्णरूप से दोषमुक्त कर दिया गया हो, अथवा

(ii) जहां इस नियमावली के अनुपालन नहीं होने के आधार-मात्र पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया हो और आगे कोई जांच किया जाना प्रस्तावित नहीं हो:

परन्तु यह कि जहां ऐसे प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में विलम्ब के लिये सरकारी सेवक ही सीधे तौर पर जबावदेह है तो वह उसे अभ्यावेदन देने एवं सुनवाई का अवसर देकर और उसके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर, कारणों को अभिलेखित करते हुए, निदेश दे सकेगा कि उप-नियम (7) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक को ऐसे विलम्ब की अवधि के लिये ऐसे वेतन एवं भत्ते के मात्र ऐसे अनुपात का भुगतान किया जायेगा, जो उस प्राधिकार द्वारा निश्चित की जाय ।

(3) इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन आनेवाले किसी मामले में, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलम्बन की अवधि सहित कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

(4) इस नियम के उप-नियम (2) द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न मामलों में, उप-नियम (6) एवं (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन एवं भत्ते के ऐसे अनुपात का, जो

(60)

अनुशासनिक प्राधिकार विनिश्चित करे, भुगतान किया जायेगा जो उसे तब अनुमान्य होता जब वह यथास्थिति, ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त अथवा निलंबित नहीं किया जाता । भुगतान के अनुपात का ऐसा विनिश्चयन अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को प्रस्तावित अनुपात का नोटिस देकर एवं सरकारी सेवक को तामिल की गयी नोटिस की तिथि से साठ दिनों के अन्दर प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर करेगा ।

(5) इस नियम के उप-नियम (4) के अधीन आनेवाले मामलों में, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व उसके निलंबन की अवधि सहित कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि कर्त्तव्य पर वितायी गयी अवधि तबतक नहीं समझी जायगी जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकार विशेषरूप से यह निदेश नहीं दे कि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु इसे वैसी अवधि समझी जाय:

परन्तु यह कि यदि कोई सरकारी सेवक ऐसा अभ्यावेदन दे, तो ऐसा प्राधिकार विचारण के बाद यह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति, उसकी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित अनुपस्थिति की अवधि को सरकारी सेवक को देय और अनुमान्य किसी प्रकार की छुट्टी के रूप में परिवर्तित किया जायेगा ।

(6) उप-नियम (2) या उप-नियम (4) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत भत्ते अनुमान्य हों ।

(7) उप-नियम (2) के परन्तुक या उप-नियम (4) के अधीन विनिश्चित पूरे वेतन एवं भत्ते का अनुपात, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही नियम-10 के अधीन अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता एवं अन्य-भत्तों से कम ।

(8) पुनर्स्थापन होने पर इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का भुगतान, यथास्थिति, बर्खास्तगी, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित रकम, यदि कोई हो, से समंजन के अधीन रहते हुए किया जायेगा । जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या उससे कम होंगे वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा ।

13. जहां सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाय वहां पुनःस्थापन, सेवा का निरूपण एवं वेतन और भत्ते की अनुमान्यता ।-(1) जहां किसी सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया

जाय और ऐसा सरकारी सेवक, आगे किसी और जांच किये बिना पुनःस्थापित कर दिया जाय, वहां कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि विनियमित कर दी जायेगी तथा न्यायालय के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, इस नियम के उप-नियम (2) या (3) के उपबंधों के अनुसार सरकारी सेवक को वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा ।

(2) (i) इस नियम के उप-नियम (3) द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न मामलों में, सरकारी सेवक को पूरे वेतन और भत्ते के उस अनुपात का भुगतान किया जायेगा जो उसे, यथास्थिति, सेवाच्युत नहीं किये जाने, बर्खास्त नहीं किये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता, और जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया जाय । भुगतान के अनुपात का ऐसा विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार प्रस्तावित राशि के बारे में सरकारी सेवक को नोटिस देकर और सरकारी सेवक को उपर्युक्त नोटिस तामिल किये जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, करेगाः

परन्तु यह कि सरकारी सेवक को इस उप-नियम के अधीन कोई भुगतान, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही नियम-10 के अधीन अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम ।

(ii) सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित यथास्थिति, सेवाच्यूति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच की अवधि नियम-12 के उप-नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी ।

(3) जहाँ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर निरस्त की गयी हो, अथवा जहाँ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने मात्र के आधार पर निरस्त की गयी हो और आगे कोई जांच किया जाना प्रस्तावित न हो, वहां, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनःस्थापन की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी । फलस्वरूप उस अवधि के लिये सरकारी सेवक को पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जो उसे, यथास्थिति, पदच्युत नहीं किये जाने, हटाये नहीं जाने या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता ।

(4) इस नियम के उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत ऐसे भत्ते अनुमान्य हों ।

(5) पुनर्स्थापन होने पर, सरकारी सेवक को इस नियम के अधीन किसी राशि का भुगतान सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति और सेवा में पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि में, किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के अधीन रहते हुए होगा । जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन और भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित राशि के बराबर या उससे कम हो वहां सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा ।

भाग- V

शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार

14. लघु एवं वृहत शास्तियाँ ।-समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसमें इसके बाद यथाउपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ, सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी, यथाः-

लघु शास्तियाँ-

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति की रोक;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लंघन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुंचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) वेतनवृद्धियों की रोक;

वृहत शास्तियाँ-

(vi) इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति, इन निदेशों के साथ भी कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में (जिससे वह अवनत किया गया हो) प्रोन्नति

के लिये उस कोटि या पद या सेवा में (जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो) प्रत्यावर्तन की शर्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जानेवाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(viii) अनिवार्य सेवानिवृति;

(ix) सेवाच्यूति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;

(x) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगीः

परन्तु यह कि ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिये हेतु या पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, खंड (ix) या खंड (x) में उल्लेखित शास्ति अधिरोपित की जायेगीः

परन्तु यह भी कि किसी आपवादिक मामले में तथा विशेष कारणों से, जिन्हें अभिलेखित किया जायेगा, कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, यथाः-

(i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करनेवाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन-वृद्धि रोक रखना;

(ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद (जिसके लिये वह अर्हक हो) के लिये उसकें मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना;

(iii) किसी सरकारी सेवक को, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद (जिसके लिये वह अर्हक हो) के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना;

(iv) उच्चतर सेवा, कोटि या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अनजुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्त्तन;

(v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं

आदेशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्त्तन;

(vi) किसी सरकारी सेवक की सेवा का, जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन के किसी प्राधिकार से उधार ली गयी हो, उस राज्य सरकार या उस प्राधिकार में प्रतिस्थापन, जिससे ऐसे सरकारी सेवक की सेवा उधार ली गयी थी;

(vii) अधिवार्षिकी या सेवानिवृति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृति;

(viii) सेवा- समाप्ति-

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निर्बंधनों और शर्त्तों के अनुसार ।

15. अनुशासनिक प्राधिकार ।-(1) सरकार किसी सरकारी सेवक पर नियम-14 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी ।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी सरकारी सेवक पर, नियुक्ति प्राधिकार या कोई प्राधिकार जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकार हो द्वारा अथवा सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु शक्ति प्रदत्त किसी अन्य प्राधिकार द्वारा नियम 14 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी ।

16. कार्यवाही संस्थित करने का प्राधिकार ।-(1) सरकार या नियुक्ति प्राधिकार या कोई प्राधिकार जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकार हो, या सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदत्त कोई अन्य प्राधिकार -

(क) किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा;

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार को निदेश दे सकेगा कि किसी सरकारी सेवक, जिस पर वह अनुशासनिक प्राधिकार इस नियमावली के अधीन नियम-14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने में सक्षम हो, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करे ।

(2) नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम कोई अनुशासनिक प्राधिकार, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार नियम-14 के खंड (vi) से (x) के अधीन शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम नहीं है, नियम 14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट

शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने हेतु किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा ।

भाग - VI

शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया

17. वृहत शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया ।-(1)जहां तक हो सके इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किये बिना नियम-14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने हेतु आदेश नहीं किया जायेगा ।

(2) जहां कहीं अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सचाई के बारे में जांच करने के आधार हैं वहां वह स्वयं इसकी जॉच कर सकेगा अथवा उसकी सचाई के बारे में जांच के लिये इस नियमावली के अधीन कोई प्राधिकार नियुक्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरणः- जहॉं अनुशासनिक प्राधिकार स्वयं जांच करता हो वहां जांच प्राधिकार से संबंधित इस नियम के उप-नियम (7) से उप-नियम (20) में तथा उप-नियम (22) में जॉच प्राधिकार के प्रति कोई निर्देश अनुशासनिक प्राधिकार के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।

(3) जहां इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरूद्ध जांच करना प्रस्तावित हो वहां अनुशासनिक प्राधिकार-

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा;

(ii) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा, जिसमें -

(क) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन, और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो,

- अंतर्विष्ट रहेंगी ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को आरोप की मदों की एक प्रति, अवचार या कदाचार के लांछनों के उस अभिकथन तथा उन दस्तावेजों और साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों का सिद्ध होना प्रस्तावित हो, देगा या दिलवायेगा तथा सरकारी सेवक से अपेक्षा करेगा कि

यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन प्रस्तुत करे और यह अभिकथित करे कि क्या वह चाहता है कि स्वयं उसे व्यक्तिशः सुना जाय ।

(5) (क) बचाव का लिखित कथन प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की उन मदों के बारे में जांच-पड़ताल स्वयं कर सकेगा जिन्हें स्वीकार न किया गया हो, अथवा यदि वह इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जांच प्राधिकार नियुक्त करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा और जहां सरकारी सेवक द्वारा अपने बचाव के लिखित कथन में सभी आरोप के मदों को स्वीकार कर लिया गया हो वहां अनुशासनिक प्राधिकार ऐसे साक्ष्य लेते हुए जिसे वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष अभिलेखित करेगा तथा नियम-18 में दी गयी रीति से कार्रवाई करेगा ।

(ख) यदि सरकारी सेवक द्वारा बचाव का कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की मदों की जांच-पड़ताल स्वयं कर सकेगा अथवा यदि वह इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जांच प्राधिकार की नियुक्ति करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा ।

(ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकार आरोप के किसी मद के बारे में जांच-पड़ताल स्वयं करे अथवा ऐसे आरोप के बारे में जांच-पड़ताल करने के लिये जांच प्राधिकार की नियुक्ति करे, वहाँ वह आरोप की मदों के समर्थन में मामला को उसकी ओर से प्रस्तुत करने के लिये, एक आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक को या किसी विधि व्यवसायी को 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(6) अनुशासनिक प्राधिकार, जहां वह जांच प्राधिकार न हो, जांच प्राधिकार को निम्नलिखित अभिलेख अग्रसारित करेगाः-

(i) आरोप की मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

(ii) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो, की एक प्रति;

(iii) इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्षियों, यदि कोई हो, के अभिकथन की एक प्रति;

(iv) इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को सरकारी सेवक को उपलब्ध कराया जाना साबित करनेवाला साक्ष्य; और

(v) 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' की नियुक्ति संबंधी आदेश की एक प्रति ।

(7) सरकारी सेवक, आरोप की मदें तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण उसके द्वारा प्राप्त किये जाने की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि और उस समय पर, जो जांच प्राधिकार इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अथवा जांच प्राधिकार द्वारा

यथाविनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त दस दिनों से अनधिक समय के भीतर, जांच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा ।

(8) (क) सरकारी सेवक, अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये, अपने मुख्यालय में या जहॉं जांच की जा रही हो उस स्थान पर, किसी कार्यालय में पदस्थापित अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगाः

परन्तु यह कि वह इस प्रयोजनार्थ किसी विधि व्यवसायी को तब तक नहीं रख सकेगा जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो, अथवा मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुशासनिक प्राधिकार ऐसी अनुमति न देः

परन्तु यह भी कि यदि अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अभिलेखित कारणों से, ऐसा करने की अनुमति दे तो सरकारी सेवक किसी अन्य स्थान पर पदस्थापित किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगाः

परन्तु यह और कि सरकारी सेवक किसी ऐसे अन्य सरकारी सेवक की सहायता नहीं ले सकेगा जिसके पास ऐसे तीन लम्बित अनुशासनिक मामले हो जिनमें उसे सहायता देनी हो ।

(ख) सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्त्तों के अध्यधीन सरकारी सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी सेवा- निवृत सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा ।

(9) यदि सरकारी सेवक, जिसने अपने बचाव के लिखित अभिकथन में आरोप के किसी मद को स्वीकार न किया हो या बचाव में कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत न किया हो, जांच प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होता है तो वह प्राधिकार उससे पूछेगा कि वह दोषी है या नहीं अथवा अपने बचाव के लिये उसे कुछ कहना है या नहीं और यदि वह आरोप के किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता हो तो जांच प्राधिकार उस अभिवचन को अभिलेखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर सरकारी सेवक से हस्ताक्षर करा लेगा ।

(10) आरोप के जिन मदों के संबंध में सरकारी सेवक ने दोषी होने का अभिवचन किया हो जांच प्रधिकार उन दोषों पर अपना निष्कर्ष वापस कर देगा ।

(11) यदि सरकारी सेवक, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में विफल हो अथवा अभिवचन से इनकार करता हो या अभिवचन नहीं करता हो, तो जांच प्राधिकार, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करे जिनके द्वारा आरोप की मदों को वह साबित करना चाहता हो और मामले को तीस दिनों से अनधिक की बाद की तिथि के लिये स्थगित कर देगा और इस आशय का आदेश अभिलेखित करेगा कि सरकारी सेवक अपना प्रतिवाद तैयार करने के लिये -

(i) आदेश किये जाने के पांच दिनों के भीतर अथवा जांच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत पांच दिनों से अनधिक अतिरिक्त समय के भीतर

इस नियम के उप-नियम (3) में सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है;

(ii) अपनी ओर से परीक्षण किये जानेवाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकता है;

टिप्पणी- यदि सरकारी सेवक उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लेखित साक्षियों के बयानो की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का लिखित आवेदन करे तो जांच प्राधिकार यथाशीघ्र उसे ऐसी प्रतियाँ दे देगा ।

(iii) आदेश किये जाने के दस दिनों के भीतर या जांच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत अतिरिक्त समय के भीतर ऐसे किसी दस्तावेज की खोज करने या पेश करने की नोटिस दे सकेगा जो सरकार के पास हो किन्तु इस नियम के उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लेखित न हो:

परन्तु यह कि सरकारी सेवक खोज किये जानेवाले या सरकार द्वारा पेश किये जानेवाले उसके द्वारा अपेक्षित कागजातों की सुसंगति इंगित करेगा ।

(12) दस्तावेजों को खोजने या पेश करने की नोटिस प्राप्त होने पर जांच प्राधिकार उसे या उसकी प्रतिलिपियाँ एक अध्यपेक्षा के साथ उस प्राधिकार को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गये हों, अध्यपेक्षा में यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक दस्तावेज पेश करने हेतु अग्रसारित कर देगा;

परन्तु यह कि जांच प्राधिकार, अपने द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा को अस्वीकार कर सकेगा जिन्हें वह मामले के लिये अप्रासंगिक समझे ।

(13) इस नियम के उप-नियम (12) में विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाला हरेक प्राधिकार उन्हें जांच प्राधिकार के समक्ष पेश करेगा:

परन्तु यह कि अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाले प्राधिकार का, उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, यदि यह समाधान हो जाय कि ऐसे दस्तावेजों में से सभी या किसी को पेश करना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध होगा तो वह तदनुसार जांच प्राधिकार को सूचित करेगा और इस तरह सूचित किये जाने पर, जांच प्राधिकार, यह जानकारी सरकारी सेवक को संसूचित करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों को पेश करने या खोजने के लिये की गयी अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा ।

(14) जाँच के लिये नियत तिथि को, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिनके आधार पर आरोप की मदों को साबित करना प्रस्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जायेगा । साक्षियों का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जायेगा और सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा । प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उन विन्दुओं पर साक्षियों का पुनर्परीक्षण करने का हकदार होगा जिन पर उनका प्रतिपरीक्षण किया गया हो, किन्तु जांच प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी नये विषय पर प्रतिपरीक्षण नहीं

करेगा । जांच प्राधिकार भी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह उचित समझे ।

(15) अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से मामला बन्द किये जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जॉच प्राधिकार स्वविवेक से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा जो सरकारी सेवक को दी गयी सूची में सम्मिलित न हो या स्वयं नये साक्ष्यों की मांग कर सकेगा अथवा किसी साक्षी को पुनः बुलाकर उसका पुनर्परीक्षण कर सकेगा और ऐसी दशा में सरकारी सेवक, यदि मांग करे तो, पेश किये जाने के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्यों की सूची लेनें तथा ऐसे नये साक्ष्यों को पेश करने के पूर्व पूरे तीन दिनों के लिये जांच का स्थगन लेने का हकदार होगा, जिसमें स्थगन का दिन एवं जिस दिन के लिये जांच स्थगित की गयी हो शामिल नहीं रहेंगे । अभिलेख पर लिये जाने के पूर्व जांच प्राधिकार उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर सरकारी सेवक को देगा । जांच प्राधिकार सरकारी सेवक को भी नये साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसकी यह राय बने कि न्याय के हित में ऐसे साक्ष्यों को पेश करना आवश्यक है :

परन्तु यह कि साक्ष्य की अनुपूर्ति के लिये नया साक्ष्य देने या मांगने या किसी साक्षी को फिर से बुलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । ऐसे साक्ष्य की मांग तभी की जा सकेगी जब मूलतः पेश किये गये साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या दोष हो ।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकार के लिये मामला बन्द हो जाय तव सरकारी सेवक से अपेक्षा की जायेगी कि वह मौखिक या लिखित, जैसा वह पसंद करे, अपने प्रतिवाद का अभिकथन करे । यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाय तो उसे अभिलेखित किया जायेगा और सरकारी सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायगी । दोनो ही दशाओं में प्रतिवाद अभिकथन की प्रति नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, को दी जायेगी ।

(17) उसके बाद सरकारी सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जायेगा । सरकारी सेवक यदि चाहे तो, अपनी ओर से स्वयं परीक्षण कर सकेगा । उसके वाद, सरकारी सेवक द्वारा पेश किये गये साक्षियों का परीक्षण किया जायेगा और वे अनुशासनिक प्राधिकार के साक्षियों पर लागू उपबंधों के अनुसार जांच प्राधिकार द्वारा परीक्षण किये जाने, प्रतिपरीक्षण किये जाने एवं पुनर्परीक्षण किये जाने के दायी होंगे ।

(18) यदि सरकारी सेवक ने स्वयं परीक्षण न किया हो तो, सरकारी सेवक द्वारा अपना मामला बन्द किये जाने के पश्चात, जांच प्राधिकार, सरकारी सेवक के विरूद्ध साक्ष्य में दिखनेवाली परिस्थितियों के संबंध में उसकी स्थिति स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ उससे सामान्य पूछताछ करेगा ।

(19) साक्ष्यों को पेश किया जाना पूरा हो जाने पर, जांच प्राधिकार, नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, और सरकारी सेवक को सुनेगा या, यदि वह चाहे तो, उन्हें अपने-अपने मामले का लिखित पक्ष कथन दाखिल करने की अनुमति देगा ।

(20) यदि सरकारी सेवक, जिसे आरोप की मदों की एक प्रति दी गयी हो, बचाव का लिखित अभिकथन, इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पूर्व पेश न करे अथवा जांच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित न हो अथवा इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में अन्यथा विफल रहे या अस्वीकार करे तो जांच प्राधिकार एकपक्षीय जांच कर सकेगा ।

(21) (क) जहां नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये सक्षम कोई अनुशासनिक प्राधिकार [लेकिन नियम-14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं] ने स्वयं आरोप की किसी मद की जांच की हो या जांच करवायी हो और अपने निष्कर्ष अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी जांच प्राधिकार के निष्कर्ष पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यदि उसकी यह राय हो कि नियम-14 के खंड(vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियॉं सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह प्राधिकार जांच अभिलेख ऐसे अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित कर देगा जो नियम-14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियॉं अधिरोपित करने में सक्षम हो ।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अभिलेख प्रेषित किये गये हों, अभिलेख में दिये गये साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा, अथवा यदि उसकी यह राय हो कि न्याय के हित में साक्षियों में से किसी की आगे और जांच करना आवश्यक है तो वह साक्षियों को बुलाकर उनका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण कर सकेगा तथा सरकारी सेवक पर ऐसी शास्तियॉं अधिरोपित कर सकेगा, जैसा वह इस नियमावली के अनुसार उचित समझे ।

(22) जब कभी किसी जांच में संपूर्ण साक्ष्य या इसके किसी भाग को सुनने और अभिलेखित किये जाने के पश्चात् किसी जांच प्राधिकार को उसमें अधिकारिता न रह जाय तथा अन्य जॉंच प्राधिकार प्रभार ग्रहण करे जिसे ऐसी अधिकारिता हो और जो उस अधिकारिता का प्रयोग करे, तो वह उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार अपने पूर्ववर्ती द्वारा उस प्रकार अभिलेखित किये गये अथवा आंशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती द्वारा तथा आंशिक रूप से स्वयं द्वारा अभिलेखित किये गये साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगाः

परन्तु यह कि यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार की राय हो कि साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले अभिलेखित किया जा चुका हो, पुनः आगे जांच न्यायहित में आवश्यक है, तो वह किसी ऐसे साक्षी को बुला सकेगा, उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण कर सकेगा, जैसा कि इसमें पूर्व-उपबंधित है ।

(23) (i) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक अभिलेख तैयार किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे -

(क) आरोप की मदे और अवचार अथवा कदाचार के लांछन की विवरणी;

(ख) प्रत्येक आरोप की मद के संबंध में सरकारी सेवक का प्रतिवाद;

(ग) प्रत्येक आरोप की मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण;
(घ) प्रत्येक आरोप की मद पर निष्कर्ष और उसके कारण ।

स्पष्टीकरण- यदि जांच प्राधिकार की राय में जांच की कार्यवाही आरोप की मूल मदों से भिन्न किसी आरोप की मद को सिद्ध करे, तो वह ऐसे आरोप की मद पर अपना निष्कर्ष अभिलेखित कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसे आरोप की मद पर निष्कर्ष तबतक अभिलेखित नहीं किये जायेंगे, जबतक कि सरकारी सेवक ने ऐसे तथ्यों को, जिन पर ऐसे आरोप की मद आधारित हो, या तो स्वीकार न कर लिया हो या ऐसे आरोप की मद के विरूद्ध अपना प्रतिवाद करने के लिये उसे युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(ii) जांच प्राधिकार, जहां वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकार न हो, जांच-अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित कर देगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -
(क) इस उप-नियम के खंड (i) के अधीन उसके द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन;
(ख) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित किये गये बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो;
(ग) जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य;
(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी या सरकारी सेवक या दोनों के द्वारा दाखिल किये गये लिखित पक्ष-कथन, यदि कोई हो; और
(ङ) अनुशासनिक प्राधिकार तथा जांच प्राधिकार द्वारा जांच से संबंधित किये गये आदेश, यदि कोई हो ।

18. जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई ।- (1)अनुशासनिक प्राधिकार, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकार न हो, लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, पुनः आगे जांच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिये मामले को जांच प्राधिकार के पास वापस प्रेषित कर सकेगा तथा जांच प्राधिकार उस पर, जहां तक हो सके, नियम-17 के उपबंधों के अनुसार पुनः आगे जांच करेगा ।

(2) नियम-17 (23) (ii) या उप नियम (1) के अनुसार जाँच प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार यदि वह आरोप की किसी मद पर जांच प्राधिकार के निष्कर्ष से असहमत हो तो ऐसी असहमति के लिये अपने कारणों को अभिलेखित करेगा तथा ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलेखित करेगा, यदि उस प्रयोजनार्थ अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हों ।

(3) अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, उप नियम (2) में यथा उपबंधित स्वयं के निष्कर्ष, यदि कोई हो, के साथ, सरकारी सेवक को भेजेगा या भेजवायेगा, जो, यदि वह ऐसा चाहे, अपना लिखित

अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित कर सकेगा ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार, उप नियम (5) एवं (6) में यथा निर्दिष्ट अग्रेत्तर कार्रवाई करने के पूर्व, सरकारी सेवक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन या निवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा ।

(5) आरोप की सभी या किसी मद से संबंधित अपने निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम-14 के खंड(i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह नियम-19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा ।

(6) आरोप की सभी अथवा किसी मद पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम-14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा और अधिरोपित होनेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा ।

(7) उप नियम (5) एवं (6) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हरेक मामले में, जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, वहां आयोग से परामर्श किया जायेगा और सरकारी सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश देने के पूर्व उसके परामर्श पर विचार किया जायेगा ।

19. **लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया ।**- (1) नियम-18 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सरकारी सेवक पर नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश निम्नांकित कार्रवाइयों के किये बिना नहीं दिया जायेगा-

(क) उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये प्रस्ताव तथा कदाचार अथवा अवचार का लांछन, जिसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी, और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे;

(ख) हरेक मामले जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में ऐसी जॉच आवश्यक हो नियम 17 के उप-नियम (3) से (23) तक में विहित रीति से जॉच;

(ग) सरकारी सेवक द्वारा खंड (क) के अधीन समर्पित अभ्यावेदन तथा खंड (ख) के अधीन की गयी जॉच, यदि कोई हो, पर विचार;

(घ) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेखन; और

(ङ) आयोग से परामर्श करना जहाँ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो ।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नांकित शामिल रहेंगे-

(ii) उसे उपलब्ध कराये गये अवचार या कदाचार के लांछन के अभिकथन की एक प्रतिलिपि;

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(iv) जॉच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य;

(v) आयोग का परामर्श, यदि कोई हो;

(vi) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बारे में निष्कर्ष; और

(vii) मामले पर, कारणों के साथ, आदेश ।

20. कतिपय मामलों में विशेष प्रकिया ।-नियम-17 से 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(i) जहॉ किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति किसी आपराधिक आरोप के संबंध में उसकी दोषसिद्धि की ओर ले जानेवाले आचरण के आधार पर अधिरोपित किया जाय, अथवा

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकार का अपने द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, अथवा

(iii) जहां सरकार का समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से कोई जांच करना राज्य के हित में समीचीन नहीं है,

-तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा तथा ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु यह कि खंड (i) के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने के पूर्व अधिरोपित की जानेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन देने का एक अवसर दिया जायेगा;

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो ।

21. आदेशों का संसूचन ।- अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिये गये आदेश सरकारी सेवक को संसूचित किये जायेंगे जिसे आरोप के प्रत्येक मद पर निष्कर्ष, अथवा जहॉ अनुशासनिक प्राधिकार जॉच प्राधिकार नहीं है वहॉ जॉच प्राधिकार के निष्कर्षों से असहमति, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारणों सहित अनुशासनिक प्राधिकार के निष्कर्षों के एक अभिकथन की प्रति और आयोग के परामर्श, यदि कोई हो, की प्रति, तथा जहॉ अनुशासनिक प्राधिकार ने आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया हो वहॉ ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का संक्षिप्त अभिकथन भी उपलब्ध कराये जायेंगे ।

22. सम्मिलित कार्यवाही ।- (1) जहॉ किसी मामले में दो या अधिक सरकारी सेवक संबंधित है वहॉ सरकार या ऐसे सभी सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम कोई अन्य प्राधिकार आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगा कि उन सभी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एक सम्मिलित कार्यवाही के तहत की जा सकती है ।

टिप्पणी-यदि ऐसे सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम प्राधिकार विभिन्न हों तो सम्मिलित कार्यवाही के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश ऐसे प्राधिकारों में उच्चतम द्वारा अन्यों की सहमति से दिया जा सकेगा ।

(2) किसी ऐसे आदेश में निम्नांकित विनिर्दिश्ट रहेगा-

(i) ऐसी सम्मिलित कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में कार्य कर सकनेवाला प्राधिकार;

(ii) नियम-14 में निर्दिष्ट शास्तियाँ जिन्हें ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार अधिरोपित करने में सक्षम होगा;

(iii) नियम-17 एवं नियम-18 या नियम-19 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण कार्यवाही में होगा या नहीं ।

भाग VII
अपील

23. आदेश के विरूद्ध अपील ।-कोई सरकारी सेवक निलम्बन-आदेश अथवा दंड-आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा ।

24. अपीलीय प्राधिकार ।-(1) कोई सरकारी सेवक, ऐसे व्यक्ति सहित, जो सरकारी सेवा में नहीं रह गया हो, नियम-23 में विनिर्दिष्ट आदेशों के विरूद्ध, सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा अथवा जहां ऐसा प्राधिकार विनिर्दिष्ट न हो वहाँ-

(i) जहां ऐसा सरकारी सेवक सिविल सेवा समूह- क या समूह- ख का सदस्य हो या था अथवा सिविल पद समूह- क या समूह- ख का पदधारी हो या था -

(क) नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा, यदि अपीलाधीन आदेश उसके अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा दिया गया हो; अथवा

(ख) सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा, यदि ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकार द्वारा दिया गया हो;

(ii) जहां ऐसा सरकारी सेवक सिविल सेवा समूह- ग या समूह- घ का सदस्य हो या था वहां उस प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा जिसके ठीक नीचे के अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा अपीलाधीन आदेश दिया गया हो ।

(2) सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी ।

(3) यदि अपीलाधीन आदेश पारित करनेवाला व्यक्ति अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के कारण या अन्यथा उस आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकार हो जाय तो उस आदेश के विरूद्ध कोई अपील उस प्राधिकार के समक्ष, जिसके ठीक नीचे वह व्यक्ति है, या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकार के समक्ष की जायेगी ।

25. अपील हेतु परिसीमा-काल ।- इस भाग के अधीन की जानेवाली कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि वह अपील में अन्तर्ग्रस्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को दे दिये जाने की तिथि से पैंतालिस दिनों के अन्दर न की गयी हो :

परन्तु यदि अपीलीय प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी को समय पर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

26. अपील के प्रारूप एवं विषयवस्तु ।-(1) अपील करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अपील पृथक रूप से और अपने नाम से करेगा ।

(2) अपील उस प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत की जाय जिसके समक्ष अपील दाखिल की जा सके । अपीलार्थी द्वारा अपील की एक प्रति उस प्राधिकार को अग्रसारित की जायेगी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो । इसमें ऐसे सभी तथ्य एवं तर्क अन्तर्विष्ट होंगे जिन पर अपीलार्थी विश्वास करता हो तथा इसमें अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा और यह अपने आप में पूर्ण होगा ।

(3) वह प्राधिकार, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील किया गया हो, अपील की एक प्रति की प्राप्ति के बाद, उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ प्रासंगिक अभिलेखों को, बिना किसी परिहार्य विलम्ब के तथा अपीलीय प्राधिकार से किसी निदेश का इंतजार किये बिना, अपीलीय प्राधिकार को अग्रसारित करेगा।

27. अपील पर विचारण ।- (1) निलम्बन-आदेश के विरूद्ध अपील की दशा में, अपीलीय प्राधिकार यह विचार करेगा कि नियम-9 के उपबंधों के आलोक में तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन-आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार वह इस आदेश की पुष्टि करेगा अथवा इसे वापस लेगा या उपांतरित करेगा ।

(2) नियम-14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने वाले आदेश के विरूद्ध अपील की दशा में, अपीलीय प्राधिकार विचार करेगा कि :-

(क) क्या इस नियमावली में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से

भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पाया है :

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे साक्ष्य द्वारा समर्थित है; और

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है; तथा

(i) शास्ति की पुष्टि, वृद्धि, कमी, या उसे निरस्त करते हुए; अथवा

(ii) शास्ति को अधिरोपित करनेवाले या किसी अन्य प्राधिकार को, ऐसे निदेश सहित जैसा वह मामले की परिस्थिति में उचित समझे, मामला प्रेषित करते हुए आदेश पारित करेगा;

परन्तु यह कि -

(i) सभी मामलेा में आयेाग से परामर्श किया जायेगा जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो;

(ii) यदि अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित बढ़ायी गयी शास्ति नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक हो तथा इस मामले में नियम-17 के अधीन पहले से जांच नहीं की गयी हो तो अपीलीय प्राधिकार, नियम-19 के उपबंधों के अध्यधीन, स्वयं ऐसी जांच करेगा अथवा नियम-17 के उपबंधों के अनुसार ऐसी जांच के लिये निदेश देगा और तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचारण करने तथा अपीलार्थी को नियम-18 के खंड (4) के उपबंधों के अनुसार ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद ऐसा आदेश देगा, जो वह ठीक समझे ।

(iii) यदि अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित बढ़ायी गयी शास्ति नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक हो और इस मामले में नियम-17 के अधीन पहले ही जांच की जा चुकी हो तो अपीलीय प्राधिकार अपीलार्थी को प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे; और

(iv) किसी अन्य मामले में बढ़ायी गयी शास्ति अधिरोपित करनेवाला आदेश तबतक नहीं दिया

जायेगा जबतक अपीलार्थी को बढ़ायी गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन देने का एक युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता ।

(3) अपीलीय प्राधिकार मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा तथा ऐसा आदेश देगा जो वह न्यायसंगत एवं साम्योचित समझे ।

भाग VIII

पुनरीक्षण

28. पुनरीक्षण ।- (1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(i) सरकार, अथवा

(ii) सरकार के प्रत्यक्षतः अधीन कोई विभागाध्यक्ष, किसी विभाग या कार्यालय में सेवारत किसी सरकारी सेवक के मामले में, जो ऐसे विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में हो, अथवा

(iii) अपीलीय प्राधिकार, या

(iv) सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकार, और ऐसे समय के भीतर, जो उस सामान्य या विशेष आदेश में विहित किया गया हो,

पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित आदेश की तिथि से छह माह के भीतर किसी भी समय स्वप्रेरणा से या अन्यथा जांच का अभिलेख मांग सकेगा तथा इस नियमावली के अधीन अथवा नियम-32 द्वारा निरसित नियमावलियों के अधीन दिये गये आदेश (जिसके विरूद्ध अपील अनुमत हो किन्तु अपील नहीं किया गया हो या अपील अनुमत नहीं हो) का पुनरीक्षण, जहां आयोग से परामर्श आवश्यक हो वहां आयोग से परामर्शोपरान्त, करेगा, और-

(क) आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या निरस्त कर सकेगा, या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को संपुष्ट, उसमें कमी, उसमें बढ़ोत्तरी या उसे निरस्त कर सकेगा अथवा जहाँ कोई शास्ति अधिरोपित न की गयी हो वहां शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, या

(ग) उस प्राधिकार को, जिसने आदेश किया हो या अन्य किसी पदाधिकारी को, आगे जॉच करने हेतु ऐसा निदेश देते हुए, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे, मामला प्रेषित कर सकेगा, या

(घ). ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझेः

परन्तु यह कि शास्ति अधिरोपित या वृद्धि करनेवाला आदेश किसी पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा तबतक नही दिया जायेगा, जब तक

कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जाय, और जहां नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित हो, अथवा पुनरीक्षित किये जानेवाले आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को उन खंडों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी में बढ़ाना प्रस्तावित हो वहां नियम-17 में दी गयी रीति से जांच किये बिना तथा संबंधित सरकारी सेवक को जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध कारण बताने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना और जहां आवश्यक हो वहां आयोग से परामर्श किये बिना ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि विभागाध्यक्ष द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग तबतक नहीं किया जायेगा जबतक कि-

(i) प्राधिकार, जिसने अपील में आदेश किया हो, या

(ii) प्राधिकार, जिसके यहां अपील हो सकेगी, वहाँ कोई अपील दाखिल न की गयी हो;

उसका अधीनस्थ नहीं हो ।

(2) पुनरीक्षण हेतु कोई कार्यवाही तबतक आरम्भ नहीं की जायेगी जबतक

(i) अपील हेतु समय-सीमा समाप्त न हो जाय, या

(ii) जहां ऐसी कोई अपील की गयी हो वहां अपील का निष्पादन न हो जाय ।

(3) पुनरीक्षण हेतु किसी आवेदन का निष्पादन उसी रीति से किया जायेगा, मानो यह इस नियमावली के अधीन कोई अपील हो ।

भाग- IX

प्रकीर्ण

29. समय सीमा को शिथिल करने तथा विलम्ब को माफ करने की शक्ति ।- इस नियमावली में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस नियमावली के अधीन कोई आदेश देने के लिये सक्षम प्राधिकार, ठोस एवं पर्याप्त कारणों से अथवा यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाय तो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित कुछ भी किये जाने के लिये इस नियमावली में विनिर्दिष्ट समय-सीमा को बढ़ा सकेगा अथवा किसी विलम्ब को माफ कर सकेगा ।

30. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव ।- किसी अन्य नियमावलियों में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा ।

31. विनियम बनाने की सरकार की शक्ति ।-(1) सरकार इन नियमों के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी ।
(2) इस नियमावली के अधीन बनाये गये सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे ।

32. निरसन एवं व्यावृति ।- (1)सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 को अंगीकृत करने संबंधी अधिसूचना सं0 III/आर.1-101/63-8051-ए0 दिनांक 3 जुलाई, 1963 तथा उक्त दोनों नियमावलियों में संशोधन करनेवाली अधिसूचनाएँ एतद द्वारा निरसित की जाती हैं ।
(2) सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के अधीन समय-समय पर निर्गत सभी अनुदेश एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं ।
(3) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थीं जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गयी थी ।
(4) इस नियमावली की कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह नियमावली लागू नहीं होतीं ।
(5) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरसित नियमावली के अधीन आरम्भ की गयीं कोई विभागीय कार्यवाही, अधिरोपित किसी शास्ति के विरूद्ध की गयी अपील सहित, जारी रहेगी, मानो वे नियमावलियाँ अब भी विद्यमान हों ।

33. शंकाओं का निराकरण ।-यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

[3/एम-1-16/2001]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रविकान्त)
सरकार के सचिव